

सेवामे,

श्रीमान सरपंच महोदय

ग्राम पंचायत.....

पंचायत समिति .....

विषय:— ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा मेरे नाम से पुस्तक सख्या.....  
.....विक्रय विलेख सख्या..... दिनांक.....को जारी किया गया था। किन्तु मे  
उक्त विक्रय विलेख का निर्धारित अवधि मे उप पंजियन कार्यालय से पंजियन नही करा  
पाया। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे विक्रय विलेख का रा. पं.रा. नियम 1996 के  
नियम 167(क) के अन्तर्गत पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण करने का श्रम फरमाये।  
जिससे मै अपने विक्रय विलेख का पंजियन करा सकु।

संलग्न:—1 मूल विक्रय विलेख(पट्टा)

2 मूल विक्रय विलेख(पट्टा) फोटो प्रति

3 पट्टा जारी की रसीद

4 आधार कार्ड 5 मतदाता पहचान पत्र

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम.....

पिता का नाम.....

जाति.....

निवासी.....

मो. नम्बर.....

# आज्ञाओ की सूचि

ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति

जिला परिषद्

क्र. स.	तांरीख	कार्यवाही विवरण	आगामी सुनवाई की तांरीख
(1)		<p>श्रीमान जी निवेदन है कि श्री..... पुत्र.....जाति.....निवासी. .....ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है पंचायत मे उपलब्ध रिकार्ड से मिलान करने पर पाया गया कि पट्टा सख्या... .....पुस्तक सख्या.....दिनांक..... .....को ग्राम पंचायत द्वारा श्री..... .....पुत्र.....जाति..... निवासी.....के नाम से जारी किया हुआ है अतः रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण किया जाना है पत्रावली अवलोकनार्थ तथा आदेशार्थ प्रस्तुत है।</p> <p style="text-align: right;">ग्राम विकास अधिकारी</p>	
(2)		<p>सरपंच/ पत्रावली आगामी पंचायत बैठक मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे।</p> <p style="text-align: right;">सरपंच</p> <p>ग्राम विकास अधिकारी</p>	

# आज्ञाओ की सूचि

ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति जिला परिषद्

क्र. स.	तांरीख	कार्यवाही विवरण	आगामी सुनवाई की तांरीख
(3)		<p>ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री..... पुत्र.....जाति..... निवासी.....का पट्टा सख्या..... पुस्तक सख्या.....दिनांक.....की पत्रावली आज बैठक मे पेश कर अवगत कराया कि उपरोक्त प्रार्थी का पट्टा विलेख रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 157(1) (i) (ख) के अधीन जारी किया गया है जिसका प्रार्थी रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पुनर्विधिमान्यकरण करवाना चाहता है। जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश सख्या एफ4(7)संशो/नियम/विधि/पंरा/2017/02 दिनांक 02.01.2018 के बिन्दु (1)अनुसार रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख/पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण 100/रूपये की फीस लेकर कर जारी किया जा सकता है।</p> <p>जिसका उपस्थित सदस्यो द्वारा अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि पट्टा विलेख रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 157(1) (i) (ख) के अधीन जारी किया गया है तथा रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख/पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण 100/रूपये की फीस लेकर कर जारी किया जावे। जिसका पंचायत बैठक दिनांक..... के प्रस्ताव सख्या..... द्वारा अनुमोदन किया गया है अतःपुनर्विधिमान्यकरण आदेश हस्ताक्षर कर जारी करने हेतु प्रस्तुत है।</p> <p style="text-align: right;">ग्राम विकास अधिकारी</p>	
(4)		<p>सरपंच/</p> <p>विक्रय विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण आदेश कर पत्रावली दफ्तर दाखिल की जावे।</p> <p style="text-align: right;">सरपंच</p>	

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति

क्रमांक:—

दिनांक:—

—:विक्रय विलेख पुनर्विधिमान्यकरण आदेश:—

श्री.....पुत्र.....जाति.....  
...निवासी.....ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे का रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पटटा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान करने तथा ग्राम पंचायत पाक्षिक दिनांक.....प्रस्ताव सख्या.....के अनुमोदन उपरान्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश सख्या एफ4(7)संशो / नियम / विधि / पंरा / 2017 / 02 दिनांक 02.01.2018 के बिन्दु (1)अनुसार रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख / पटटा विलेख सख्या.....पुस्तक सख्या.....दिनांक.....जो कि श्री.....पुत्र.....जाति..... निवासी.....के नाम से जारी है को 100 / रूपये का शुल्क प्राप्त कर आज दिनांक..... को कार्यालय की मोहर सहित अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा पुनर्विधिमान्यकरण किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी

सरपंच

क्रमांक:—

दिनांक:—

प्रतिलिपी सूचनार्थ:—

1 श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति भदरा

2 श्री.....

3 रक्षित पत्रावली।

ग्राम विकास अधिकारी

सरपंच

## पंचायत बैठक मे लिखे जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप

सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विक्रय विलेख / पट्टा विलेख का रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पुनर्विधिमान्यकरण करवाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र / पत्रावली सदन मे प्रस्तुत किये । जिनका विवरण निम्नानुसार है

क्र. स.	नाम पट्टाधारक	पिता / पति का नाम	जाति	निवासी	पट्टा सख्या	पुस्तक सख्या	पट्टा जारी दिनांक
1							
2							

उपरोक्त पत्रावली आज बैठक मे पेश कर अवगत कराया कि उपरोक्त प्रार्थी का पट्टा विलेख रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 157(1) (i) (ख) के अधीन जारी किया गया है जिसका प्रार्थी रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पुनर्विधिमान्यकरण करवाना चाहता है। जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश सख्या एफ4(7)संशो / नियम / विधि / पंरा / 2017 / 02 दिनांक 02.01.2018 के बिन्दु (1)अनुसार रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख / पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण 100 / रूपये की फीस लेकर कर जारी किया जा सकता है।

जिसका उपस्थित सदस्यो द्वारा अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि पट्टा विलेख रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 157(1) (i) (ख) के अधीन जारी किया गया है तथा रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख / पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण 100 / रूपये की फीस लेकर कर जारी किया जावे। जिसका पंचायत बैठक मे उपस्थित समस्त सदस्यो ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।